

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0 (अ0उ0) —3054—01—269 / 2024 - 1760 / पटना, दिनांक— 25.11.2024
प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024—25 में मांग संख्या—37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड—37—3054—04— 105—0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये **पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति** प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या—37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054—सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:—

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Revised Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Revise Initial Rectification n + 5 year Maint. after deducting Agreement Amount	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)	Amount /Km (in Lakhs)	Percentage Increase/ Decrease	Below Quoted Agreement Rate (in %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samstipur	Samastipur	RCD Path Dhampur Chowk to Musapur Sonwarsa	2.200	159.19700	14.61600	173.813	15.91900	189.73200	72.36	160	(0%)
Total									189.73200			

2. उक्त योजना का पूर्व में विभागीय पत्रांक—2173 दिनांक—06.07.2019 द्वारा कुल **72.95617 लाख** पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की गयी थी।

3. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तर दायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं





व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।


4. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की **पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-15.11.2024 को संचिका संख्या- **मु0अ0 (अ0उ0) -3054-01-269/2024** में अनुमोदन प्राप्त है।
7. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की **पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक-18.11.2024 को संचिका संख्या-**मु0अ0 (अ0उ0) -3054-01-269/2024** में **पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु** अनुमोदन प्राप्त है।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित होतो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
13. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

W/a

17. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तर दायी माने जाएंगे।

18. पुनरीक्षित स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-**मु0अ0 (अ0उ0) -3054-01-269 / 2024** के पृ0-09 / टि0 पर दिनांक-**22.10.2024** को प्राप्त है।

विश्वासभाजन


22/11/24


(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0) -3054-01-269 / 2024 -1760 / पटना, दिनांक- 25.11.2024
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/11/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0) -3054-01-269 / 2024 -1760 / पटना, दिनांक- 25/11/2024
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता-6, भागलपुर** ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0 टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0 टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


22/11/24

संयुक्त सचिव



